

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 1/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/एक्सटेंशन/राआनि)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2020

का.आ. (ई) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) का धारा 28(9) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय तालिका के स्तम्भ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्याय निणयन के प्रयोजनाथ, जिनके लिए यथा उल्लेखित तालिका के स्तम्भ (4) में उल्लेखित समान न्याय निणयन प्राधिकारों पहले ही नियुक्त हो चुका है, तालिका के स्तम्भ (2) में उल्लेखित नोटिसियाँ के संबंध में शुल्क अथवा ब्याज निधारण के प्रयोजनाथ, एतद द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का धारा 28 का उप धारा (8) के तहत समायावधि दिनांक 10.01.2020 से एक वर्ष का अवधि के लिए बढ़ाते हैं:-

तालिका

| क्र. | विवरण | कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक (ल.सं. 1962 का 52 धारा 28(9)(b)) | समान न्याय निणयन अधिकारों नियुक्त करने वाली अधिसूचना संख्या |
|------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मै डिश टोवी इंडिया लि., 1 ^ल तल, FC-9, फिल्म सिटी, सेक्टर-16A, नोएडा-201301 और 2 अन्य. | डीआरआई फा. सं. DRI/BZU/ S-IV/Enq-06 (Int-Nil)/2018 दिनांक 10.01.2019 (SCN No. DRI/BZU/SCN/02/2019) | अधिसूचना सं. 4/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 01.02.2019 |

[सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-33/2019-CI]

(प्र.सं.)

क.सं.

प्रतिनिधि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. वि.सं. (नं.सं.), राजस्व आसूचना निदेशालय, सं. 214, सं.

ल.सं. 1-110037 को इस निवेदन के साथ कि वो कारण बताओ नोटिस सं. वि.सं. वि.सं.

ल.सं. 1962 का 52 धारा 28 (8) ल.सं. सं.

वि.सं. वि.सं., राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा वि.सं. सं.

वि.सं.